

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुनील कुमार -I, (RAS)

नामान्तरकरण अपील प्रार्थना-पत्र संख्या :- 02/2018 RCMS 2018/00211

अपीलान्त :-

1. मनोहरी देवी पत्नी स्वर्गीय शिवजीराम बागड़ा जाति बागड़ा उम्र 84 साल निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन राज.।

बनाम

- 1 सरपंच ग्राम पंचायत जिलिया पंचायत समिति कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन
- 2 पटवारी हल्का, पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी
- 3 झुमरमल पुत्र स्व. शिवजीराम जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी
- 4 गोपाललाल पुत्र स्व. शिवजीराम जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी
- 5 कमल कुमार पुत्र स्व. शिवजीराम जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी
- 6 औमप्रकाश पुत्र स्व. शिवजीराम जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन फौत के कायम मुकाम :-

6/1- रेखादेवी पत्नी स्व. औमप्रकाश जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी

6/2- भावना पुत्री स्व. औमप्रकाश जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी

6/3- आशीष पुत्र स्व. औमप्रकाश जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी

म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत ग्राम पंचायत जिलिया द्वारा स्वीकृति नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 334 दिनांक 05.03.2002 नामान्तरकरण पंजिका ग्राम जिलिया पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी के विरुद्ध

उपस्थित :- श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता अपीलांत की ओर से।
श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता रेस्पो. 5 की ओर से।

आदेश

दिनांक :- 21/10/2024

वकील अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना का संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जिलिया तह0 कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1329/898 रकबा 1.62 हैक्टर कुल रकबा 9.92 हैक्टर कृषि भूमि अपीलार्थी के पति शिवजीराम बागड़ा पुत्र सुण्डाराम जाति बागड़ा साकिन कुचामनसिटी ने खातेदार मुन्नाराम पुत्र कालुराम, मोहनराम पुत्र चैनसुख, मंगलीराम पुत्र रूपाराम कुमावत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये दिनांक 04.06.1998 एवं 22/06/1997 के जरिये अपनी स्वअर्जित आय से खरीद के जरिये खातेदारी हक प्राप्त करके कब्जे काशत में रही है। अपीलार्थी के पति शिवजीराम बागड़ा ने अपने जीवनकाल में उक्त खसरा



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

नम्बर खसरा नम्बर 919 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1329/898 रकबा 1.62 हैक्टर कुल रकबा 9.92 हैक्टर में निहीत अपने खातेदारी अधिकारो को दो अभिसाक्षियों की उपस्थिति में जरिये लिखित वसीयतनामा दिनांक 11.06.2000 को हस्तान्तरित कर दिये। अपीलार्थी के पति शिवजीराम का देहान्त दिनांक 30.11.2000 को हो चुका है, उक्त आराजी के अलावा मौजा ग्राम खाखड़की के खसरा नम्बर 304, 305, 306, 307 कुल रकबा 27.48 हैक्टर में से शिवजीराम पुत्र सुण्डाराम बागड़ा ब्राह्मण के हिस्से की 3.24 हैक्टर की आराजी के संबंध में वसीयत के अभिसाक्षियों की जांच के बाद अपीलार्थी के नाम तहसीलदार नावां ने नामान्तरकरण दर्ज करने के प्रभावी आदेश जारी कर दिये। शिवजीराम का देहान्त होने के बाद उक्त वसीयतनामा के अधीन अपीलार्थी विधि प्रभाव से ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 919 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1329/898 रकबा 1.62 हैक्टर कुल रकबा 9.92 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलार्थी में निहीत हो गये, इसके बावजूद ग्राम पंचायत जिलिया के सरपंच व राजस्व अधिकारियों ने बिना अपीलार्थी को नोटीस दिये बाले-बाले रेस्पोजेन्ट संख्या 3 ता 6 के साथ सांठ-गांठ बोगस तथ्यों के आधार पर विधि के प्रभावी प्रावधानों व अधिकारों के विपरीत जाकर हल्का पटवारी भू-अभिलेख निरीक्षक के ग्राम पंचायत जिलिया से स्वीकार करवाने की आक्षेपित नामान्तरकरण कार्यवाही की गई है जो प्रारम्भ से ही अवैध शून्य एवं प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है-

(A) उक्त खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि पर स्वीय विधि अनुसार मृत खातेदार श्री शिवजीराम बागड़ा पुत्र सुण्डाराम जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी की अपीलार्थी पत्नी है इस संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रथम श्रेणी का वारिस अपीलार्थी होने के बावजूद जानबूझकर खुले आम कानून का उल्लंघन कर पटवारी हल्का एवं ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण पंजिका में प्रविष्टि 334 दिनांक 05.03.2002 को ग्राम पंचायत जिलिया में स्वीकृत करवा लिया जो उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही की अवैधता विधि विरुद्ध के संबंध में आधार है।

(B) मृत खातेदार शिवजीराम की अपलार्थी धर्म पत्नी है, शिवजीराम के चार जीवित पुत्रिया होने के बावजूद के बावजूद रेस्पोजेन्ट ग्राम पंचायत जिलिया में दर्ज नामान्तरकरण 334 दिनांक 05.03.2002 को ग्राम पंचायत जिलिया की स्वीकृति आदेश काश्तकारी भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्रभावी विधि प्रावधानो के विपरीत पारित किया गया है, काश्तकारी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रभावी काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 4 की धारा 38 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार खातेदारी अधिकारी अन्तरित होते है, चूंकि मृतक खातेदार शिवजीराम के उत्तराधिकारी अपीलार्थी के नाम खातेदारी में अमल दरामद होना चाहिए था, परन्तु अपीलार्थी के



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डोडवाना-कुचामन)

पक्ष को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 6 के पक्ष में नामान्तरकरण कार्यवाही शिवजीराम की जीवित पत्नी व पुत्रियों के सम्बन्ध में तटस्थ जांच किये बगैर ही की गई है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी एवं शून्य बोगस नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत करने में रेस्पोंडेंट 1 ने जानबूझकर गलती करके बिना युक्तियुक्त जांच किये गलत अंकन किया गया है, उक्त आक्षेपित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में आदेश जारी करना अपने आप में महत्वहीन एवं शून्य होने के आधार पर अपीलांत के विधि प्रभाव से निहीत खातेदारी अधिकार से वंचित कर रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 6 के पक्ष में ग्राम जिलिया द्वारा नामान्तरकरण पंजिका में दिनांक 05.03.2002 को किया गया, इन्तकाल नम्बर 334 अपास्त किये जाने योग्य है।

(C) ग्राम पंचायत जिलिया ने नामान्तरकरण कार्यवाही की प्रक्रिया में विधि एवं तथ्यों के मध्य नजर सम्यक् विधिक सर्तकता नहीं अपनाई रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 6 से मिलीभंगति व साठ-गांठ कर प्रभावी विधि के अनुरूप पवित्रता शुद्धता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का परीसीलन नहीं किया ओर चालाकी पूर्ण दिनांक 05.03.2002 के दिन शिवजीराम की वसीयत के जरिये वैध खातेदार अपीलांत का उक्त कृषि आराजी में निहीत खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि का इन्तकाल कर रेस्पोंडेंट संख्या 3 से 6 के पक्ष में विधि विरुद्ध दर्ज कर दी गई है, फलतः ग्राम जिलिया के नामान्तरकरण रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि संख्या 334 दिनांक 05.03.2002 को ग्राम पंचायत जिलिया विधि विरुद्ध अन्यायपूर्ण होने से काबिल खारिज है।

(D) वसीयतकर्ता शिवजीराम की मृत्यु सन् 2000 को होने के बाद विवादित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में वसीयतग्रहीता अपीलार्थी के पक्ष में सुने बगैर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत जिलिया को अधिकार निहीत नहीं होने के बावजूद की गई नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 334/05.03.2002 अधिकारिता होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट को नोटीस दिये बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विरुद्ध जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है जो ab-initio-void होने से अस्तित्वहीन प्रभावहीन है, रेस्पोंडेंट संख्या 03 से 06 को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करता है, इसे किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। हस्तगत नामान्तरकरण स्वीकृति कार्यवाही से पूर्व जैरे अपील नामान्तरकरण की किसी प्रकार की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं दही गई थी, आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 334 की स्वीकृति से पूर्व अपीलाण्ट को सुनकर तस्दीक नहीं किया गया था, अपीलाण्ट को जैरे अपील नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 10.05.2018 को नामान्तरकरण हेतु हल्का पटवारी जिलिया को वसीयत की प्रति देकर नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन करने पर पटवारी हल्का ने मौजूदा जमाबंदी में शिवजीराम



कुचामन सिटी (डीडब्लाना-कुचामन)

के स्थान दाखिल खारिज होकर रेस्पोजेन्ट संख्या 3 ता 6 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज होना बताया। इस पर अपीलान्ट ने ग्राम जिलिया की नामान्तरकरण पंजिका में दिनांक 05.03.2002 को स्वीकृति प्रविष्टि संख्या 334 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.05.2018 को प्राप्त होने पर अपीलार्थी को आक्षेपित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में पुख्ता जानकारी व ज्ञान होते ही निर्धारित एक माह अवधि में यह नामान्तरकरण कार्यवाही के विरुद्ध भविष्य में किसी प्रकार के तनाजे से बचने के लिए देरी माफी का आवेदन अलग से पेश कर अपील पेश की गई है। अपीलार्थी की इस्तदुआ है कि आक्षेपित नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम जिलिया पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी की नामान्तरकरण पंजिका में दर्ज प्रविष्टि संख्या 334 दिनांक 05.03.2002 को अपास्त कर ग्राम जिलिया तह0 कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1329/898 रकबा 1.62 हैक्टर कुल रकबा 9.92 हैक्टर की खातेदारी के सम्बन्ध में तारीख 05.03.2002 से पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुये शिवजीराम द्वारा लिखित वसीयत के जरिये व्ययनित अपीलान्ट के पक्ष को सुनकर खातेदारी में पुनः दर्ज इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्टस को जरिये नोटीस तलब किया गया। रेस्पोजेन्टस संख्या 1, 2, 3, 5, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोजेन्टस संख्या 6 औमप्रकाश के फौत होने की सूचना प्रस्तुत करने पर उसके विधिक वारिस रेखादेवी पत्नी, भावना पुत्री, आशीष पुत्र को रेस्पोजेन्टस पक्षकार बनाय गया, जिनकी तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। बावजूद इतला अनुपस्थित रहने पर एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोजेन्ट सं. 5 कमल कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अण्डर टेकिंग दी गई तथा किसी प्रकार का जवाब इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम जिलिया पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी के नामान्तरकरण संख्या 334 स्वीकृति दिनांक 05.03.2002 की प्रमाणित प्रति, शिवजीराम के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, अन्तिम वसीयतनामा शिवजीराम द्वारा मनोहरी देवी के पक्ष में 11.06.2000 की छाया प्रति, मनोहरीदेवी के आधार कार्ड संख्या 281208301912 की छाया प्रति, तहसीलदार नावां द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2015 से संबधित दस्तावेजात की छाया प्रति, कृषि भूमि का विक्रय विलेख संख्या 653/1997 दिनांक 22.09.1997 की छाया प्रति, चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2073-2076 ग्राम जिलिया के खाता संख्या 86 की छाया प्रति प्रस्तुत की। बेचान दस्तावेज संख्या 653/97 दिनांक 22.09.997 के द्वारा तत्कालीन खातेदार रामेदव, रामपाल, नेमीचन्द, रतनलाल पुत्रान घासीराम व झमरी



अपीलान्ट अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

देवी बैवा घासीराम जाति कुमावत निवासी हाल कुचामनसिटी से ग्राम जिलिया तह0 कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1329/898 रकबा 1.62 हैक्टर कुल रकबा 9.92 हैक्टर में स्थित हक हिस्सा 1/16 सम्पूर्ण जरिये कृषि भूमि विक्रय विलेख से बेचान 22000/- मे शिवजीराम पुत्र सुण्डाराज जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी के पक्ष में उप पंजियक कुचामनसिटी के यहाँ निष्पादित किया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 13.12.2000 अनुसार शिवजीराम बागड़ा की मृत्यु दिनांक 30.11.2000 को कुचामनसिटी मे हो चुकी है। अन्तिम वसीयतनामा दिनांक 11.06.2000 अनुसार ग्राम जिलिया तह0 कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1329/898 रकबा 1.62 हैक्टर कुल रकबा 9.92 हैक्टर का वर्णन कर मनोहरी देवी पत्नी शिवजीराम बागड़ा कुचामनसिटी के पक्ष में लिखी गई है।

अपील प्रार्थना-पत्र में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम जिलिया तह0 कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1329/898 रकबा 1.62 हैक्टर कुल रकबा 9.92 हैक्टर में स्थित हक हिस्से शिवजीराम की मृत्यु पर उनके चारो पुत्रो अर्थात रेस्पोजेन्ट सं. 3 से 6 के नाम दर्ज गलत प्रविष्टि हटाकर अपीलार्थी के नाम वसीयत 11.06.200 के आधार पर प्रविष्टि दर्ज कर खातेदारी दर्ज की जावें। रेस्पोजेन्ट अधिवक्ता 5 ने कथन किया है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार अपीलार्थी के नाम प्रविष्टि दर्ज की जाती है तो उसे किसी प्रकार की आपत्ति नही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वसीयतनामा शिवजीराम द्वारा मनोहरी देवी के पक्ष में 11.06.2000 की छाया प्रति अनुसार उसमें अंकित उपरोक्त कृषि भूमि ग्राम जिलिया तह0 कुचामन सिटी कि सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 919 रकबा 5.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 920 रकबा 3.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 1329/898 रकबा 1.62 हैक्टर कुल रकबा 9.92 हैक्टर में स्थित भूमि शिवजीराम बागड़ा द्वारा बेचान दस्तावेज संख्या 653/97 दिनांक 22.09.997 के द्वारा तत्कालीन खातेदार रामेदव, रामपाल, नेमीचन्द, रतनलाल पुत्रान घासीराम व झमरी देवी बैवा घासीराम जाति कुमावत निवासी हाल कुचामनसिटी से जरिये कृषि भूमि विक्रय विलेख से बेचान 22000/- के पक्ष में उप पंजियक कुचामनसिटी के यहाँ निष्पादित किया गया है, जिससे स्वअर्जित भूमि होने की पुष्टि होती है। उपरोक्त भूमि की अनरजिस्टर्ड वसीयत के अनुसार मनोहरी देवी के पक्ष में खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी। तहसीलदार नावां के समक्ष मनोहरी देवी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर ग्राम खाखड़की के खसरा नम्बर 304, 305, 306, 307 में



जनखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडीवा ना-कुचामन)

स्थित हक हिस्से 3.24 हैक्टर की कृषि भूमि का नामान्तरकरण वसीयत दिनांक 11.06.2000 के आधार पर किये जाने का प्रस्तुत करने पर तहसीलदार नावां ने प्रकरण दर्ज कर एवं वसीयतग्रहीता के मनोहरी देवी पत्नि स्व. शिवजीराम बागड़ा जाति ब्राह्मण निवासी कुचामनसिटी एवं वसीयत में अंकित गवाह आनन्दसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत निवासी कुचामनसिटी व गवाह विजय कुमार शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी हिरापुर पोस्ट सोपरेन तहसील केशवरायपाटन जिला बूंदी के बयान कलम बद किये गये, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत हुई है तथा इन्होंने भी वसीयत को उनके सामने लिखे जाने के बयान किये हैं। तहसीलदार नावां द्वारा बाद जांच, मौका रिपोर्ट, बयान तथा दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 14.07.2015 को आदेश पारित किये जाकर पटवारी हल्का खाखड़की को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से साबित है कि उपरोक्त प्रश्नगत भूमि शिवजीराम की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसे किसी भी व्यक्ति विशेष इत्यादि को वसीयत किये जाने के अधिकार सुरक्षित थे, उक्त वसीयत अनुसार प्रश्नगत भूमि शिवजीराम ने अपनी जीवनकाल में ही दो अभिसाक्षियों की मौजूदगी में अपनी पत्नी मनोहरी देवी के पक्ष में 10/- रुपये के स्टाम्प पेपर एवं 4 सादा पेपर पर टंकित कराकर निष्पादित कर दी गई थी। इस प्रकार प्रार्थना-पत्र उपरोक्त दस्तावेजात के अनुसार साबित होने से अपील प्रार्थना-पत्र स्वीकार काबिल पाई गई एवं उक्त प्रविष्टि दर्ज होने से पहले उपरोक्त नामान्तरकरण सं. 334/05.03.2002 अपास्त होने पर ही शुद्ध प्रविष्टियाँ दर्ज की जा सकेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत निम्न प्रकार स्वीकार की जाती है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है और सरंपच ग्राम पंचायत जिलिया द्वारा पारित आदेश एवं प्रविष्टि ग्राम जिलिया के नामान्तरकरण संख्या 334/05.03.2002 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में सुनवाई कर वसीयत दिनांक 11.06.2000 की जांच एवं शिवजीराम के वारिसान की जांच कर गुणवागुण के आधार पर निर्णय पारित कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 21/10/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार -I- (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डंडवाना-कुचामन)
कुचामनसिटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना-कुचामन) राज.

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 282

दिनांक:- 22/10/2024

प्रेषित :- तहसीलदार


कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व नामान्तरकरण अपील संख्या 02/2018 RCMS No. 2018/00211 मनोहरी देवी बनाम ग्राम पंचायत जिलिया वगैरह में पारित आदेशो की पालना बाबत।

---X-X-X--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व नामान्तरकरण अपील संख्या 02/2018 RCMS No. 2018/00211 मनोहरी देवी बनाम ग्राम पंचायत जिलिया वगैरह में पारित आदेशो की पालना अनुसार नामान्तरकरण संख्या 334 दिनांक 05.03.2002 को अपास्त किया जाकर आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है, माफिक आदेश पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)